2022/60

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री नेमीचन्द जैन पुत्र श्री रायचन्द
जाति जैन
निवासी सिरोही रोड, पिण्डवाडा
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 13 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
03.02.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 16.10.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि पंचायत निगरानी संख्या 93/2005 नेमीचन्द बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में श्री मेलापचन्द का शपथ पत्र दिनांक 19.05.2005 की 05 प्रमाणित प्रति एवं उक्त निगरानी में विजयराज द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं फॉर्म नं. 03 के साथ संलग्न दस्तावेज एवं दो रूपए के स्टाम्प पर बंटवाडा की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 16.10.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि पंचायत निगरानी संख्या 93/2005 नेमीचन्द बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में श्री मेलापचन्द का शपथ पत्र दिनांक 19.05.2005 की 05 प्रमाणित प्रति एवं उक्त निगरानी में विजयराज द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं फॉर्म नं. 03 के साथ संलग्न दस्तावेज एवं दो रूपए के स्टाम्प पर बंटवाडा की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक 13 दिनांक 13.01.2022 के द्वारा अपीलांट को सूचित कर दिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (डॉ. भंवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.02.15 18:17:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner